(1)

51

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/2405

आशिक मोहम्मद पुत्र श्री गोस मोहम्मद आयु– 55 वर्ष निवासी– मकान न. 3, मोतिया क्वाटर्स, एम–74 के सामने, 56 क्वाटर्स के पास, टीला जमापुरा, भोपाल (म0प्र0)

...........आवेदक

विरूद्ध

श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील त्योंदा जिला– विदिशा

.... प्रत्यर्थी

श्री ... द्वारा आज ... 13-4-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-4-18 नियत।

13-4-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 32 सहपठित धारा 52म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 के वास्ते प्रकरण क्रमांक 942/अ/68/16–17 मध्यप्रदेश शासन बनाम आशिक मोहम्मद समक्ष तहसीलदार महोदय तहसील त्योंदा में विवादित भवन सीज कर निष्पक्ष एवं त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदनपत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य–

1. यह कि, आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व का एक मकान (मार्केट) दुकानें सर्वे. क्र. 42 रकबा 0.742 हेक्टेयर के अंश भाग 30X160=48000 वर्गफीट वार्ड न. 13, मकान न. 13 स्टेशन मेन रोड पर स्थित है।उक्त भूमि के संबंध में अवैधानिक रूप से तात्कालिन तहसीलदार बासौदा द्वारा आवेदक की भूमि के संबंध में मनमानी करते हुये विधिविरूद्व रूप से भू राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत अतिक्रमणकारी मानते हुये प्रकरण क्रमांक 572/68/2011–2012 दर्ज कर कार्यवाही की एवं उक्त कार्यवाही में आवेदक को विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर न प्रदान कर अतिक्रमणकारी घोषित कर शास्ति अधिरोपित की एवं बेदखल करने का आदेश दिनांक 10.09.2012 पारित किया एवं तहसीलदार महोदय द्वारा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/2405

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/8/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि यह निगरानी संहिता की धारा 32 सहपठित धारा 52 के तहत प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह निगरानी तहसीलदार त्योंदा के किस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की जाना है ऐसा आवेदक अधिवक्ता स्पष्ट नहीं कर सके हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए मौखिक तर्कों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि तहसीलदार त्योंदा के किस आदेश से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	